मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 2022007062

रसूखदार उद्योगपति गुप्ता ब्रदर्स यूएई में गिरफ्तार 2
घोषणावीर खट्टर की घोषणाओं पर कोई अमल नहीं 4
नफरती बयानबाज़ी पर सरकार, बीजेपी का डैमेज कंट्रोल 5
स्टार्टअप आखिर कैसे काम करता है, जानिए 6
शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला जरूरी है! 8

वर्ष 36 | अंक 31 | फरीदाबाद | 12-18 जून 2022 | फोन-8851091460 | 5.00 ₹

जांच में हरियाणा फार्मेसी काउंसिल चेयरमैन धनेश अदलक्खा के घोटाले बेसबूत मिले

फ़रीदाबाद (म.मो.) हरियाणा फार्मेसी काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष केसी गोयल व सदस्यों अरुण पाराशर तथा बीबी सिंघल ने काउंसिल के मौजूदा अध्यक्ष धनेश अदलक्खा के विरुद्ध बड़ी प्रशासनिक अनियमिताओं के आरोपों के साथ साथ पांच करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। इन्हीं आरोपों की ताईद काउंसिल के रजिस्ट्रार द्वारा किये जाने के बाद मजबूरन सीएम खट्टर को आईएएस अधिकारी प्रभजोत सिंह द्वारा जांच करानी पड़ी। करीब ढाई माह जांच करने के बाद आईएएस अधिकारी ने प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों को तो सही पाया लेकिन पांच करोड़ के घोटाले बाबत कोई सबूत नहीं मिले। वैसे भी रिश्वतखोरी की रसीद न कोई लेता है न देता है, इसलिये सबूत काहे को मिलने थे।

काउंसिल की लूट कमाई को समझने के लिए इसके धंधे को समझना जरूरी है। इसका धंधा है फार्मासिस्ट का कोर्स पूरा कर लेने वालों का रजिस्ट्रेशन करना। यह रजिस्ट्रेशन हर पांच साल बाद रिन्यू भी कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन एवं रिन्यूअल की सरकारी फीस तो नाममात्र की होती है लेकिन मोटी रिश्वत के बगैर इस काम का

धनेश अदलक्खा नगर निगम फरीदाबाद के दो बार खुद पार्षद रहे और एक बार अपनी माता को पार्षद बनवाया। ये मुख्यमंत्री खट्टर के खास व्यक्ति समझे जाते हैं, इस नाते नगर निगम की फाईनेंस कमेटी के भी चेयरमैन हैं। विधायक का चुनाव लड़ने के लिए टिकट के काफी पुराने तलबगार रहे हैं।

हो पाना बहुत कठिन है। इसके लिये बहाना यह होता है कि हर साल लाखों केस काउंसिल के पास आते हैं। ऐसे में अपना काम जल्द कराने के एवज में रिश्वत देना जरूरी है।

इस धंधे में मोटी रिश्वत दूसरे राज्यों से आने वालों से वसूली जाती है। मान लो किसी ने यूपी या बिहार से डिप्लोमा करके वहां अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन काम के लिए उन्हें हरियाणा में आना पड़े तो यहां फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऐसे लोगों से मोटी वसूली, लाख तक भी हो जाती है।

इसके अलावा ऐसे अनेकों फार्मासिस्ट हैं जिनके पास कोई डिप्लोमा ही नहीं है, वे केवल अनुभव के आधार पर ही बतौर फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड हैं, इनकी रिन्यूअल से भी मोटी लूट कमाई होती है। जानकार बताते हैं कि पहले फार्मासिस्ट की पढ़ाई के लिए कॉलेज नाममात्र के होते थे इसलिये तजुर्बे के आधार पर ही उन्हें लाइसेंस दे दिया जाता था। यह प्रथा 1970 तक चालू रही है। उसके बाद से डिप्लोमा आवश्यक बना दिया गया। इसके अलावा पहले प्रत्येक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से मात्र दस रुपए वार्षिक लिये जाते थे जो अब बढ़ाकर 375 रुपए कर दिये गये हैं। जाहिर है इससे काउंसिल के पास अरबों रुपए का कोष एकत्रित हो गया है।

गौरतलब है कि यह वार्षिक उगाही तथा रिन्यूअल फीस प्रत्येक फार्मासिस्ट को देनी पड़ती है चाहे वह निजी दुकान चलाता हो या सरकारी नौकरी में हो। बार-बार की इस रजिस्ट्रेशन तथा रिन्यूअल का मतलब लूट कमाई के अलावा और कुछ भी नहीं है। शासक वर्ग द्वारा अपने चहेतों एवं पिट्ठुओं को आजाद एवं जनता को बर्बाद करने के लिये इस तरह के नियम और कानून बनाये जाते हैं। फार्मासिस्टों का कहना है कि इस तरह की लूट केवल उनकी काउंसिल द्वारा ही की जाती है जबकि डॉक्टरों तथा वकीलों की काउंसिल में ऐसी लूट नहीं होती।

काउंसिल की नियमावली के अनुसार रजिस्ट्रेशन का काम करने के लिए सरकार द्वारा एक अधिकारी बतौर रजिस्ट्रार नियुक्त किया जाता है। उसके काम में चेयरमैन का कोई दखल नहीं होता। लेकिन खट्टर सरकार द्वारा संरक्षित धनेश अदलक्खा रजिस्ट्रार के काम-काज में अपनी पूरी दादागिरी चलाते हैं। काउंसिल के खाते में पड़े अरबों रुपए को वे अपनी निजी सम्पत्ति मान कर चल रहे हैं।

रजिस्ट्रेशन एवं रिन्यूअल में रिश्वतखोरी को रोकने के लिए जांच अधिकारी ने सुझाव दिया है कि हरियाणा वालों का काम एक माह में तथा दूसरे राज्यों से आने वालों का काम तीन माह में सम्पन्न होना चाहिए। सवाल यह पैदा होता है कि क्यों तो एक माह में और क्यों तीन माह में, एक या दो सप्ताह में क्यों नहीं? आज तो डिजिटल ऑनलाइन का जमाना है।

अपने क्षेत्र यानी फरीदाबाद में अपनी चौधर दिखाने के लिए स्थानीय लोगों के प्रमाण पत्र आदि धनेश दस्ती तौर पर अपने साथ ले जाते हैं और फिर उन लोगों को अपने घर पर बुलाकर चक्कर कटाते हैं। ऐसा करके धनेश बेशक अपनी ओर से उन पर एहसान जताने का प्रयास करते हैं लेकिन लोग उल्टे उन्हें कोसते हुए जाते हैं। जाहिर है जो कागज डाकिया लोगों के घर पर देकर जाता है, उसे लेने के लिए उन्हें किसी के चक्कर काटने पड़े तो तकलीफ तो होगी ही।

ओमप्रकाश चौटाला को सज़ा के बाद अभय व अजय का नम्बर भी दूर नहीं

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सज़ा काट कर अभी ढंग से सांस भी नहीं ले पाये थे कि उन्हें फ़िर से जेल जाना पड़ गया। आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में अदालत ने उन्हें सज़ा तो चार साल की सुनाई थी लेकिन काटनी उन्हें केवल 28 महीने की पड़ेगी क्योंकि 20 महीने की सज़ा वो अपनी पहली सज़ा के साथ-साथ काट चुके हैं।

शिक्षक भर्ती मामले में सज़ा होने पर चौटाला कहते थे कि उन्होंने लोगों को नौकरी देकर कोई चोरी, डकैती, या हत्या जैसा कोई आपराधिक कार्य नहीं किया। लोगों को नौकरी देने पर यदि उन्हें सज़ा होती है तो वे बार-बार ऐसी सज़ा भुगतने को तैयार हैं। दरअसल उनको सज़ा नौकरी देने की वजह से नहीं हुई थी, उन्हें सज़ा हुई थी पात्रों की जगह अपात्रों को नौकरी देने की वजह से।

लेकिन अब हुई सजा के बारे में चौटाला क्या कहेंगे? इस मामले में तो उन्होंने किसी को नौकरी नहीं दी है। इस बार तो मामला भद्र भाषा में कहा जाय तो आय से अधिक संपत्ति का है। अगर सीधी भाषा में कहा जाय तो अपने पद का दुरुपयोग करके लूट कमाई करने का है। क्या इस बार चौटाला कह सकेंगे कि मौका मिला तो फ़िर यही करूंगा? बेशक वे सार्वजनिक तौर पर ऐसा न कह सकें, परन्तु समझते सभी हैं कि वे सत्ता मिलने पर क्या करेंगे?

ओमप्रकाश चौटाला के बाद अब उनके दोनों बेटों अजय व अभय के विरुद्ध भी आय से अधिक संपत्ति का अलग-अलग मामला अदालत में तेज़ी से चल रहा है। दोनों के मामले गवाहियों पर हैं। अभय की सुनवाई 8 जून व अजय की 30 जून को है। भाजपा सरकार इन दोनों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिये अपनी ओर से कोई कोर-कसर छोड़ने

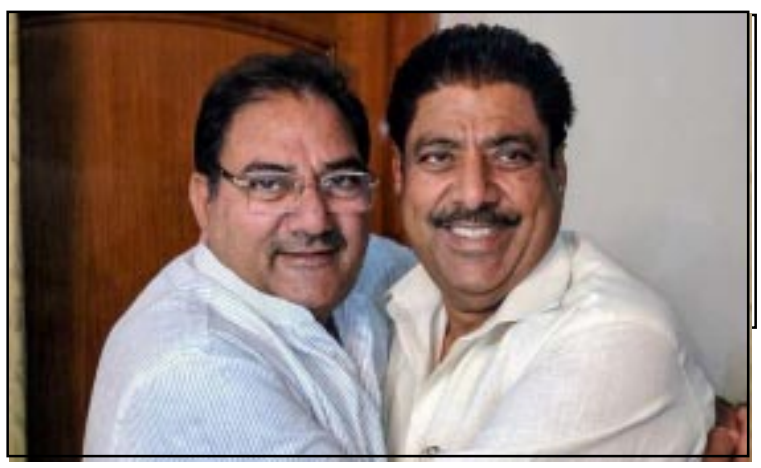

वाली नहीं है। अपना स्वछंद राज कायम करने के लिये वह सदैव स्थानीय क्षत्रपों को समाप्त करने के लिये आतुर रहती है।

जानकारों का मानना है कि भाजपा की जिस मज़बूरी का लाभ उठा कर दुष्यंत चौटाला सत्ता का दोहन कर रहे हैं उसे भाजपा वाले बेशक मजबूरन सहन तो कर रहें हैं लेकिन यह सब वे अपने बही खाते में दर्ज करते जा रहें हैं और मौका आने पर उन्हें लपेटा दे देंगे।

कितनी अजीब बात है कि जिस गुनाह में एक को सज़ा हो रही है, दूसरा उससे कोई सबक सीखने को तैयार नहीं। हर गुनाहगार यह समझता है कि सज़ा पाने वाला तो मूर्ख था जो काबू आ गया लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं हूं जो काबू आ जाऊं। पकड़े जाने पर हर नेता एक ही दुहाई देता है कि उसे सरकार ने राजनीतिक बदले की भावना से फ़साया है वरना वह तो बिल्कुल बेकसूर है।

लेकिन सच्चाई जनता से कभी छिपी नहीं रहती, वह सब जानती है। सत्तारूढ़ होने से पहले जिसके घर खाने को दाने नहीं होते थे, सत्तारूढ़ होते ही यकायक वह अथाह दौलत का मालिक हो जाता है।